संख्या: 18/2015/ 19 भा0नि0आ0 /61-2015.

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक: 30 दिसम्बर , 2015.

विषय: निर्वाचन प्रकिया से जुड़े कार्यों का कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु मूल्यांकन में उल्लेख किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर प्रतिवर्ष निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी कार्य सामान्यतः सितम्बर माह से जनवरी माह के मध्य सम्पन्न किये जाते हैं। उक्त कार्य हेतु आयोग द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों के समभाजन संबंधी कार्यों के निष्पादन में लेखपालों, राजस्व निरीक्षकों, नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों तथा उपजिलाधिकारियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार लोकसभा, विधान सभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों के दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, बी0डी0ओ0 आदि आर0ओ0 एवं ए0आर0ओ0 के रूप में अधिसूचित होकर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं परिसीमन संबंधी कार्यो में विभिन्न विभागों में कार्यरत तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तर के कार्मिकों द्वारा योगदान दिया जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि कतिपय कार्मिकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्यों को अत्यधिक उत्साह एवं लगन के साथ सम्पन्न किया जाता है जबकि कतिपय कार्मिकों द्वारा इन कार्यों को सम्पन्न करने में अपेक्षित रूचि नही प्रकट की जाती है। इस परिपेक्ष्य में विभिन्न

अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आलोच्य अवधि के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो में किये गये योगदान को भी उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु आकलन में संज्ञान में लिये जाने की आवश्यकता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि सामान्य निर्वाचन एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन करते समय उनके मूल्यांकन प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों की भी समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-18/2015/ 19 भा0नि0आ0 (1)/61-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।
(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

-3-

पत्र संख्या-स्था-1-चरित्र पंजिका - भा0नि0आ0 - निर्देश / 4274 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :18 जनवरी 2016

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 18/2015 /19 भा0नि0आ0/61 -2015 दिनांक 30-12-2015 की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को अनिवार्य रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः-

1- अनुसचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/ 4 उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त मा0 सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर /समस्त डिप्टी कमिश्नर/ समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/समस्त वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को उक्त संदर्भ में अनिवार्य रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4- अपर निदेशक प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर गोमतीनगर, लखनऊ।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/01/16.
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।